रिटेल दुकानों पर बिलिंग एवं PoS मशीनों का उपयोग

आबकारी नीति, 2021-22 के बिन्दु संख्या 12 (iv) के द्वारा रिटेल दुकानों पर PoS मशीन एवं बिलिंग को अनिवार्य किया गया है | इसका तात्पर्य है कि रिटेल दुकानों पर समस्त प्रकार की मदिरा, बीयर की बिक्री करने पर उपभोक्ता को बिल जारी किया जाना अनिवार्य होगा |

इसके लिए अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान पर इस कार्य हेतु अपनी सुविधानुसार कम्प्यूटर अथवा PoS मशीन मय बिल प्रिन्टर एवं इन्टरनेट की स्थापना स्वयं के स्तर पर अनिवार्य रूप से करनी होगी ताकि उपभोक्ता को बिल जारी किया जा सके |

आबकारी विभाग के सॉफ्टवेयर IEMS (Integrated Excise Management System) पर समस्त प्रकार की मदिरा, बीयर के ब्राण्ड, उनकी दर, अनुज्ञाधारी के स्टोर की इन्वेंटरी इत्यादि समस्त सूचनाएँ संधारित की जायेंगी | अनुज्ञाधारी द्वारा PoS के माध्यम से बिल जारी करते समय उक्त डाटा का उपयोग किया जायेगा | अतः, अनुज्ञाधारी द्वारा स्थापित की जाने वाली PoS मशीन को IEMS सॉफ्टवेयर से इंटीग्रट किया जाना होगा ताकि उपभोक्ता को सही बिल जारी किया जा सके |

अनुज्ञाधारी किसी भी विक्रेता से PoS मशीन खरीद सकते हैं | परन्तु, PoS मशीन खरीदते समय अनुज्ञाधारी को सम्बन्धित PoS विक्रेता फर्म को यह स्पस्ट कर देना होगा कि PoS मशीन को IEMS से इंटीग्रट करना होगा | इस कार्य हेतु PoS फर्म द्वारा आबकारी विभाग को उसकी PoS को IEMS से इंटीग्रट करने हेतु तकनीकि सूचना उपलब्ध करनी होगी |

अनुज्ञाधारी द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण :-

1. अपने स्तर पर कम्प्यूटर अथवा PoS मशीन मय बिल प्रिन्टर एवं इन्टरनेट की स्थापना करने होगी
2. यदि PoS मशीन का प्रयोग किया जाना है तो PoS मशीन IEMS से इंटीग्रट होनी चाहिये